




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 162]
No. 162]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 9, 1996/वैशाख 19, 1918
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 1996/VAISAKHA 19, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 1996

आय-कर

सा. का. नि. 205(अ).— भारत गणराज्य की सरकार और बलुगारिया गणराज्य की सरकार के बीच आय और पूंजी पर कर की बाबत दोहरे कराधान के परिवर्तन और राजवित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए, इससे उपाबद्ध कन्वेंशन, दोनों संबिदाकारी राष्ट्रों द्वारा उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 30 के अनुसार उक्त कन्वेंशन को प्रवर्तन में लाने के लिए अपनी-अपनी विधियों के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् 23 जून, 1995 को प्रवृत्त हो गई है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा ।

उपाबंध

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

बलुगारिया गणराज्य की सरकार

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और बलुगारिया गणराज्य की सरकार ने,

आपसी आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने तथा उन्हें सुविधाजनक बनाने की इच्छा से, आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व-अपवंचन की रोकथाम के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने का निश्चय किया है और नीचे लिखे अनुसार सहमति व्यक्त की है :

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद-2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. जिन करों पर यह अभिसमय लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :—

(क) भारत में :

- (i) आयकर और उस पर लगाया जाने वाला कोई अधिभार; और
- (ii) धनकर;

(जिन्हें इसमें इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है)

(ख) बलगारिया में :

- (i) कुल आय पर कर;
- (ii) लाभांशों पर कर; और
- (iii) भवनों पर कर;

(जिन्हें इसमें इसके बाद "बलगारियन कर" कहा गया है) ।

2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के उन करों पर भी लागू होगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख के पश्चात् लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने ऐसे कानूनों में किए जाएंगे ।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय में, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :—

- (क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है.—भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र और इसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं;
- (ख) "बलगारिया" शब्द से अभिप्रेत है.—बलगारिया गणराज्य और जब इसका भौगोलिक अर्थ में प्रयोग किया जाए तो इसका आशय उस राज्य क्षेत्र से है जिस पर उसका प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार है तथा इसमें वह महाद्वीपीय सीमा और वह विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है जिस पर वह अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है;
- (ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों का आशय विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार "भारत" या "बलगारिया" से है;
- (घ) "कर" शब्द का आशय, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा बलगारियन कर से है परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक अथवा भूल के संदर्भ में देय हो जिन पर यह अभिसमय लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाया गया कोई अर्थदंड हो;
- (ङ) "व्यक्ति" शब्द का आशय वह होगा जो संबंधित संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत, निर्धारित किया गया होगा;
- (च) "कम्पनी" शब्द का आशय किसी भी ऐसे निगमित निकाय अथवा किसी भी ऐसी सत्ता से है, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कोई कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती हो;

- (छ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” और “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों का आशय क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित किसी उद्यम से है;
- (ज) “सक्षम प्राधिकारी” पद का आशय भारत के मामले में केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से है; और बलगारिया के मामले में वित्त मंत्री या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से है;
- (झ) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” पद का आशय किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसी जलयान अथवा वायुयान द्वारा की गयी बुलाई से है, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरी संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय को लागू किए जाने का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक कि विषयगत पाठ अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन कर्तों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिस पर वह अभिसमय लागू होता है ।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, “किसी संविदाकारी राज्य का निवासी” पद का आशय :

- (क) भारत के मामले में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर भारत के कानून के अन्तर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबंध स्थान अथवा उस प्रकार के किसी अन्य मानदंड के आधार पर वहां पर कर लगाया जा सकता है; और
- (ख) बलगारिया के मामले में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बलगारिया का राष्ट्रिक है और उसके साथ-साथ कोई ऐसा विधिक व्यक्ति है जिसका प्रधान कार्यालय बलगारिया में है अथवा वहां पंजीकृत है ।

2. (क) जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वहां उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध काफी घनिष्ठ हों (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ।

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए “स्थायी संस्थापन” पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है जहां से उद्यम का कारोबार पृथक रूप से अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध-व्यवस्था का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआं, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई माल-गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भंडारण सुविधाएं मुहैया करता हो;
- (ज) कोई प्रतिष्ठान अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा निष्कर्षण के लिए किया जाता है;

- (झ) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य, प्रतिष्ठान अथवा संयोजन परियोजना (एम्बेली प्रोजेक्ट) अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यालय, जहाँ ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप (अन्य ऐसे स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों सहित, यदि कोई हों) छः माह से अधिक अवधि के लिए चालू रहते हों ।

बशर्ते कि इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ किसी उद्यम को किसी संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का स्वामी उस स्थिति में समझा जाएगा और यह कि वह उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है यह तब माना जाएगा यदि वह राज्य में खनिज तेलों की खोज करने अथवा उनके निष्कर्षण अथवा उत्पादन के संबंध में सेवाएं अथवा सुविधाएं उपलब्ध कराता है अथवा इस कार्य के लिए प्रयुक्त अथवा प्रयुक्त की जाने वाली संयंत्र और मशीनरी किराये के आधार पर उपलब्ध कराता है ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, " स्थायी संस्थापन " पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के केवल भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) केवल भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के लिए, केवल विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ऐसे समान कार्यकलापों के संबंध में जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (च) किसी प्रासंगिक अस्थायी मेले अथवा प्रदर्शनी में ऐसे मेले अथवा प्रदर्शनी की समाप्ति की प्रक्रिया में प्रदर्शित उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं की बिक्री;
- (छ) उप-पैराग्राफ (क) से (घ) में उल्लिखित कार्यकलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप व्यापार के निश्चित स्थान के संपूर्ण कार्यकलाप प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों ।

तथापि, उप-पैराग्राफ (क) से (छ) तक के उपबंध वहां लागू नहीं किए जाएंगे जहां उक्त उप-पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए किसी अन्य संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम द्वारा कारोबार का कोई अन्य निश्चित स्थान रखा जाता हो ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अधिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य में उस स्थिति में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि :—

- (क) उसे उस राज्य में उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो, और वह व्यावहारिक रूप से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदने तक ही सीमित नहीं हों;
- (ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार न हो, परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में व्यावहारिक रूप से माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें वह उस उद्यम की ओर से माल और पण्य वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो; अथवा
- (ग) वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से स्वयं उद्यम के लिए अथवा ऐसे उद्यम और अन्य उद्यमों के लिए, जिनमें प्रथमोक्त उद्यम की अधिकांश हिस्सेदारी हो, अथवा ऐसे उद्यम और अन्य उद्यमों के लिए जिनकी प्रथमोक्त उद्यम में अधिकांश हिस्सेदारी हो, व्यावहारिक रूप से आर्डर प्राप्त करता हो;

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों ।

6. यदि कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कंपनियों में से किसी भी कंपनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद-6**अचल सम्पत्ति से आय**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी सहित) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति के भोगने के अधिकार और खनिज भंडार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार से प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नौकाएं तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद-7**कारोबार के लाभ**

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण कर लगाया जा सकता है ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिये कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में, उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गये हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे जो उस राज्य के करधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार हों, और उनकी परिधि के अन्दर आते हों, फिर चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गये हों ।

4. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

6. जहां लाभों में आय की वे मर्दे शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद-8**विमान परिवहन**

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में भी लागू होंगे जहां उद्यम का दूसरे राज्य में माल अथवा व्यक्तियों को लाने-ले-जाने के लिए कोई कार्यालय अथवा एजेंसी है । तथापि, यह केवल उन कार्य-कलापों पर ही लागू होगा जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिचालन के व्यवसाय के साथ प्रत्यक्षतः जुड़े हों ।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा, तथा अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे ब्याज के मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. "वायुयान-परिचालन" पद से तात्पर्य होगा—वायुयान के मालिकों या पट्टेदारों अथवा अथ क्रेताओं द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल का वायुयान द्वारा परिवहन करने का कारोबार, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का आनुपंगिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप शामिल हैं ।

अनुच्छेद-9

जहाजरानी

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के प्रचालन से अर्जित आय पर केवल उसी राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और वाणिज्यिक नौवहन के क्षेत्र के बारे में भारत गणराज्य की सरकार और बलगारिया लोक गणराज्य की सरकार के बीच हुए दिनांक 18-11-1976 के करार के अनुच्छेद 10 के पैरा 2 में शामिल बातों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्य संविदाकारी राज्य की बन्दरगाह से तीसरे देशों की बन्दरगाहों के बीच और तीसरे देशों की बन्दरगाहों से अन्य देश की बन्दरगाहों के बीच अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से प्राप्त आय पर उक्त दूसरे राज्य में कर लगेगा लेकिन उक्त दूसरे राज्य में लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

- (क) उस दूसरे संविदाकारी राज्य के करधान कानून द्वारा अन्यथा लगाए गए कर का 50 प्रतिशत; अथवा
- (ख) जलयानों के ऐसे प्रचालन के संबंध में देय सकल रकम का 2.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, जलयानों के प्रचालन के संबंध में देय सकल राशि का अभिप्राय निम्नलिखित रकमों के कुल योग से होगा, अर्थात् :

- (क) अन्य संविदाकारी राज्य में किसी बन्दरगाह अथवा बन्दरगाहों पर जलयानों द्वारा यात्रियों, पशुओं, डाक अथवा माल की दुलाई के कारण प्रदत्त अथवा देय कुल रकम;
- (ख) अन्य संविदाकारी राज्य में तीसरे देश की किसी बन्दरगाह पर जलयानों द्वारा यात्रियों, पशुओं, डाक अथवा माल की दुलाई के कारण प्राप्त कुल रकम;
- (ग) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से संबंधित निधियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में प्राप्त ब्याज;
- (घ) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य वस्तुओं के परिवहन के संबंध में आधानों (जिसमें ट्रेलरों तथा आधानों के परिवहन से संबंधित उपकरण भी शामिल हैं) के इस्तेमाल करने उनका रख-रखाव करने अथवा उन्हें किराये पर लेने के कारण देय सकल रकम ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी पुल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा जलयानों के प्रचालन में लगी हुई किसी अन्तरराष्ट्रीय परिवहन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ :

- (क) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर प्राप्त ब्याज को ऐसे पोतों के परिचालन से उद्भूत आय के रूप में समझा जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे; और
- (ख) जलयानों के परिचालन से प्राप्त आय में अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य वस्तुओं के परिवहन के संबंध में आधानों (जिसमें ट्रेलरों तथा आधानों के परिवहन के लिए सम्बद्ध उपस्कर भी शामिल हैं) का इस्तेमाल, उनका रख-रखाव अथवा उन्हें किराये पर लेने से प्राप्त आय भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद-10

सहयोगी उद्यम

जहां :

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लग सकता है जिस राज्य की लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभोगी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

यह पैराग्राफ ऐसे लाभांशों के संबंध में कंपनी के करधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" पद का अर्थ है शेयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण-दावे नहीं हों, लाभों में सम्मिलित हों, तथा अन्य नियमित अधिकारों से प्राप्त आय, जिस पर उसी प्रकार की करधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभोगी-स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान में, उसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता हो और वह सम्पत्ति, जिसके संबंध में लाभांश अदा किये जाते हैं, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबंध यथास्थिति लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है और वह दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य, कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगायेगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा नहीं किये जाते अथवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अदा किये जाते हैं, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन से अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध नहीं है अथवा कम्पनी के अवितरित लाभों पर लगाया जा सकने वाला कर नहीं लगाया जाएगा चाहे अदा किये गये लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद-12

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. किन्तु, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह अर्जित होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी—

- (क) एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो या उनका उस पर हितभोगी-स्वामित्व हो,

- (i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेंट्रल बैंक ।

(ख) एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी यदि उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी का हितभोगी-स्वामित्व हो और वह निम्नलिखित द्वारा दिए गये अथवा समर्थित ऋण अथवा उधार के संबंध में प्राप्त किया जाता हो;

(i) बलगारिया के मामले में, विदेश व्यापार बैंक जिस सीमा तक ऐसा ब्याज केवल आयातों-निर्यातों की वित्त-व्यवस्था करने के कारण होता है;

(ii) भारत के मामले में, भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एग्जिम बैंक), जिस सीमा तक ऐसा ब्याज केवल आयातों-निर्यातों की वित्त-व्यवस्था करने के कारण होता है;

(iii) किसी संविदाकारी राज्य के विदेश व्यापार की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था करने वाला कोई भी संस्थान;

(iv) कोई अन्य व्यक्ति बशर्ते कि ऋण अथवा उधार प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण पत्रों, जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त आय । विलम्बित अदायगी के लिए अर्धदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभोगी-स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज अर्जित हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है । इस प्रकार में मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो, अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की गयी है, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभोगी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण, अदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाले और हितभोगी-स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद-13

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गयी रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. लेकिन, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर उस संविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें ये उत्पन्न हुए हों । परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का हितभोगी-स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

(क) चलचित्र फिल्मों अथवा रेडियो अथवा टेलीविजन प्रसारण में प्रयुक्त होने वाली फिल्मों अथवा टेपों से भिन्न साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों के प्रयोगाधिकार से संबंधित रायल्टियों की सकल रकम का 15 प्रतिशत; और

(ख) अन्य सभी मामलों में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की सकल रकम का 20 प्रतिशत ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियों" शब्द का आशय किसी साहित्यिक कलात्मक तथा वैज्ञानिक कृतियों, जिसमें चलचित्र फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए टेपों के प्रतिलिप्याधिकार, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग के लिए, अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" पद का आशय प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, के प्रतिफल में, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को की गयी अदायगियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति को की गयी किसी भी रकम की अदायगियां ।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का हितभोगी-स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उद्भूत होते हैं, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है तथा वह अधिकार, संपत्ति अथवा संविदा, जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा किया जाता है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद-7 अथवा अनुच्छेद-15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उस स्थिति में उद्भूत हुआ माना जाएगा यदि अदा करने वाला स्वयं वह राज्य कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । परन्तु, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा करने की देनदारी उत्पन्न हुई हो, तथा ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किये जाते हैं तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां अदा करने वाले तथा हितभोगी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशिष्ट संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए अदा किए गये शुल्क की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐसे संबंधों के नहीं होने की स्थिति में अदा की गयी होती, तो वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम-वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों की रकम का अतिरिक्त भाग, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाए जाने योग्य रहेगा ।

अनुच्छेद-14

पूँजी अभिलाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद-6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त हुए अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति का भाग हैं तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हैं अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति हो, जिनमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, उन पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति, के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकर्ता निवासी है ।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी ऐसी कम्पनी में पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी हो, उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है ।

अनुच्छेद-15

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी :—

- (क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा
- (ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की उसकी अवधि अथवा अवधियां उस दूसरे राज्य के संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, जैसा भी मामला हो, कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हो, तो उस मामले में, उक्त आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में निष्पादित उसके कार्यकलापों से प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, बकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद-16

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में यथास्थिति, कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो;
- (ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक नियोजक के किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया गया हो, जो दूसरे राज्य में स्थित है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान के परिचालन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-17

निदेशकों की फीस

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा उससे मिलती-जुलती अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-18

मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि एक थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से, जिन्हें वह दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न करता है, प्राप्त आय पर कर उस दूसरे राज्य में लग सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा इस प्रकार की अपनी हैसियत में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में उद्भूत होने वाली आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यकलाप किए गए हों।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत से किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से अर्जित आय प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के दायरे में निष्पादित किए जाएं अथवा जो

उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण सहित प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्तः समर्थित होते हैं ।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैसियत में एक संविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय, मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को स्वयं प्राप्त नहीं होती है परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगी, यदि वह दूसरा व्यक्ति उस दूसरे राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित हो, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद-19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशनें

- 1.(क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में प्रदत्त पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में ही लग सकेगा ।
- (ख) लेकिन, ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में प्रदान की जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो :
 - (i) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा
 - (ii) मात्र सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना था ।
- 2.(क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा सृजित किए गए कोष में से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा ।
- (ख) तथापि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर-योग्य हो सकेगी यदि व्यक्ति उस दूसरे राज्य का कोई निवासी है तथा उसका एक राष्ट्रिक है ।

3. अनुच्छेद 16, 17 और 20 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारोबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद-20

गैर-सरकारी पेंशन तथा वार्षिकी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न किसी अन्य पेंशन पर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त हुई हो, केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगेगा ।
2. "पेंशन" शब्द का अर्थ है पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान चोटग्रस्त होने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में की गई कोई आवधिक अदायगी ।
3. "वार्षिकी" शब्द का अर्थ उस नियत राशि से है, जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चय समयावधि के दौरान नियत अवधि पर समय-समय पर देय हो ।

अनुच्छेद-21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अथवा था और जो उस राज्य में केवल अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ मौजूद है, उसे उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट मिलेगी :

- (क) उस दूसरे राज्य से बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा उसके निर्वाह, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए उसे किए गए भुगतान; और
- (ख) किसी "पूर्व वर्ष" अथवा "आय-वर्ष" में, यथास्थिति 1500 लेव अथवा भारतीय मुद्रा में इसके बराबर की रकम से अनधिक किसी रकम में, उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक, बशर्ते कि ऐसे नियोजन का सीधा संबंध उसकी पढ़ाई से हो अथवा वह उसके अपने निर्वाह के प्रयोजनार्थ किया जाता हो ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि तक के लिए ही लागू रहेंगे जो शिक्षा अथवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद के लाभ किसी व्यक्ति को किसी भी हालत में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद-22

प्राध्यापकों, अध्यापकों तथा शोध-छात्रों द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा दूसरी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापन कार्य अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का निवासी है अथवा था, ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से अधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को किसी संविदाकारी राज्य का निवासी उस स्थिति में समझा जाएगा यदि वह यथा-स्थिति "पूर्व वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, अथवा तत्काल पूर्ववर्ती "पूर्व-वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, उस संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो ।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, "मान्यता प्राप्त संस्था" का अर्थ ऐसी संस्था से है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अथवा स्थापित किया गया हो ।

अनुच्छेद-23

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 और 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की वे मर्दें, जहां-कहीं उद्भूत होती-हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेद में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगने योग्य होंगे ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है और जिस अधिकार अथवा संपत्ति के संबंध में आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की उन मर्दों पर, जिन पर इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद-24

पूंजी

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्वामित्व में हो तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार सम्पत्ति के अंग के रूप में चल सम्पत्ति द्वारा अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, निरूपित पूंजी पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों द्वारा और ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका कि ऐसी संपत्ति का स्वामी-उद्यम एक निवासी है ।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के अन्य सभी तत्वों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें ऐसे पूंजी-तत्व अवस्थित हैं ।

अनुच्छेद-25

दोहरे कराधान की समाप्ति

1. दोनों ही संविदाकारी राज्यों में लागू कानून अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में आय अथवा पूंजी के कराधान को शामिल करते रहेंगे सिवाय उसके कि जहां इस अभिसमय में उनके प्रतिकूल कोई उपबंध बनाये जाते हैं ।
2. दोनों ही संविदाकारी राज्यों में दोने कराधान का परिहार निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :
 - (क) जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा ऐसी पूंजी पारित करता है जिस पर, इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार, दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, वहां प्रथमोल्लिखित राज्य, इस पैराग्राफ के उप-पैरा (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी आय अथवा पूंजी को कर से छूट दे सकता है परन्तु उस व्यक्ति की शेष आय अथवा पूंजी पर कर की संगणना करने में कर की वह दर लागू कर सकता है जो उस स्थिति में लागू होती यदि छूट प्राप्त आय अथवा पूंजी पर इस प्रकार की छूट नहीं दी गई होती ।
 - (ख) दोनों ही संविदाकारी राज्य अपने निवासियों पर कर लगाते समय, कर के उस आधार में जिस पर इस प्रकार के कर लगाये जाते हैं, आय की उन मदों को शामिल कर सकेंगे जिन पर इस अभिसमय के अनुच्छेद 9, 11, 12 और 13 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है लेकिन, ऐसे आधार पर संगणित कर की राशि में से दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा की गई राशि के बराबर की कटौती देंगे । तथापि, ऐसी कटौती प्रथमोल्लिखित राज्य द्वारा लगाए जाने योग्य कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जैसाकि कटौती मंजूर करने से पहले संगणित किया गया हो, जो उस आय के अनुकूल हो जिस पर इस अभिसमय के अनुच्छेद 9, 11, 12 और 13 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
3. पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (ख) के प्रयोजनार्थ "दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किया गया कर" पदावली में ऐसी कोई भी रकम शामिल की गई मानी जाएगी जो दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त आय के कराधान से संबंधित कानूनों के अंतर्गत कर लगाने योग्य आय की संगणना करने में अनुगत कटौती अथवा छूट अथवा कर की कटौती अथवा अन्यथा रूप में किसी राहत के नहीं होने की स्थिति में देय होगी ।

अनुच्छेद-26

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसी ही परिस्थितियों में अथवा वैसी ही शर्तों के अधीन लागू होती है अथवा हो सकती है ।
2. "राष्ट्रियों" शब्द का अर्थ है :
 - (क) सभी व्यक्ति जिनके पास किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता है;
 - (ख) सभी विधि-सम्मत व्यक्ति, भागीदारिताएं और संघ जो उस तरह की अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से प्राप्त करते हैं ।
3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में उन्हीं परिस्थितियों में तथा वैसी शर्तों के अधीन उसी तरह के कार्यकलाप करने वाले उद्यमों पर लगाये जाने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों । इस अनुबंध का अर्थ न तो यह लगाया जाएगा कि इसके तहत किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थापित किया गया हो, उस दर पर कर लगाने से रोकना है जो कि प्रथमोल्लिखित राज्य के इससे मिलते-जुलते उद्यम के लाभों पर लगाई गई दर की तुलना में अधिक हो अथवा न ही इसका अभिप्राय इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैरा 3 के उपबंधों के अनुसार लगाया जाएगा ।
4. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह एक संविदाकारी राज्य को, कराधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य के अनिवासी व्यष्टियों को कोई ऐसी वैयक्तिक छूटें, राहतें, कटौतियां तथा कटौतियां प्रदान करने के लिए बाध्य करता है जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यष्टियों को ही उपलब्ध हैं ।
5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य वैसी ही उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों तथा वैसी ही शर्तों पर लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं ।

6. इस अनुच्छेद में, "कराधान" पद का आशय उन करों से है जो इस करार के विषय हैं ।

अनुच्छेद-27

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है । यह मामला, उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण ऐसा कर लगाया गया हो, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं हो ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार को दृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । जो भी करार हो गया हो, उसे संविदाकारी राज्यों के कानूनों में निहित किसी भी समय-सीमा के होने के बावजूद भी कार्यान्वित किया जाएगा ।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर परामर्श कर सकेंगे जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है ।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय के अन्तर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । जब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत होता हो, वहां ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों ।

अनुच्छेद-28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का (जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं) आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों के अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान-व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी अथवा अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो । किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है । लेकिन, यदि उक्त सूचना को, सूचना भेजने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अन्तर्ग्राह हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे उक्त सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकी को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा, जिसमें, जहां-कहीं उपयुक्त हों, कर के परिहार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है ।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा किन्हीं विशिष्ट मामलों में अनुरोध मिलने पर अथवा दोनों तरह से किया जाएगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर परस्पर यह तय करेंगे कि किस-किस सूचना का या किन-किन दस्तावेजों का नेमी आधार पर आदान-प्रदान किया जाएगा ।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे एक संविदाकारी राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं :—

- (क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक परिपाटी से हट कर कोई प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सफ़ाई करना जो उस राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हो सकते; और
- (ग) कोई ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सफ़ाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक भेद खुल जाएगा अथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत होगा:।

अनुच्छेद-29

राजनयिक तथा कौंसली अधिकारी

इस अभिसमय में निहित किसी व्यवस्था का, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत राजनयिक अथवा कौंसली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद-30

प्रवर्तन

प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को इस अभिसमय को प्रवर्तित करने के लिए उसके कानून के अधीन अपेक्षित कार्यविधियों के पूरा हो जाने के बारे में अधिसूचित करेगा । यह अभिसमय, इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा :—

(क) भारत में :—

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में; और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को धारित पूंजी के संबंध में ।

(ख) बल्गारिया में :—

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी आय-वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में; और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी आय-वर्ष के अंतिम दिन को धारित पूंजी के संबंध में ।

अनुच्छेद-31

समाप्ति

यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष के 30 जून को अथवा उसके पूर्व, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकता है । ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अभिसमय की समाप्ति के लिए नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में; और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अभिसमय को समाप्ति के लिए नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को धारित पूंजी के संबंध में ।

(ख) बल्गारिया में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अभिसमय की समाप्ति के लिए नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी आय-वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में; और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अभिसमय की समाप्ति के लिए नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी आय-वर्ष के अंतिम दिन को धारित पूंजी के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

सोफिया में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानवे के मई माह के 26वें दिन को हिन्दी, बलगारियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया, जिसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं । हिन्दी और बलगारियाई पाठों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

ह०/ सलमान खुर्शीद

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह०/ अपठनीय

बलगारिया गणराज्य
की सरकार की ओर से

प्रोतोकोल

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बलगारिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय पर आज हस्ताक्षर करते समय, अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं जो इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे :

1. अनुच्छेद 7 (कारोबार के लाभ)

- (क) पैरा 1 के संबंध में, किसी स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभों, स्थायी संस्थापन को होने वाले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ शामिल होंगे और इसमें विशेष रूप से वे लाभ भी शामिल होंगे जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेचे जाने वाले एक-समान अथवा उससे मिलते-जुलते किस्म के माल अथवा पण्य वस्तुओं की दूसरे राज्य में बिक्री के कारण हुए हों ।
- (ख) पैरा 3 के संबंध में, इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते समय, उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा उसके अन्य किसी कार्यालय को पेटेंटों, जानकारी (नौ-हाउ) अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी प्रकार के अन्य भुगतानों के रूप में, अथवा विशिष्ट सेवा निष्पादन के लिए अथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में अथवा, किसी बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में प्रदत्त (वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति से भिन्न) रकमों, यदि कोई हों, के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार, किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में, उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा उसके किसी कार्यालय को पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी प्रकार के अन्य भुगतानों के रूप में, अथवा विशिष्ट सेवा निष्पादन के लिए अथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए कमीशन, अथवा अन्य प्रभारों के रूप में अथवा, किसी बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर उस उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा उसके अन्य किसी कार्यालय को उधार दिये गए धन पर ब्याज के रूप में प्रभारित (वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति से भिन्न) रकमों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

2. अनुच्छेद 12 (ब्याज)

पैरा 3(क)(ii) के संबंध में, यह समझा जाता है कि भारत के मामले में केन्द्रीय बैंक का आशय भारतीय रिजर्व बैंक से है ।

3. अनुच्छेद 26(समव्यवहार)

पैरा 3 के संबंध में, यह समझा जाता है कि कोई संविदाकारी राज्य, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के संबंध में कोई ऐसी उच्चतर अथवा ज्यादा भारपूर्ण कर की दर नहीं लगाएगा जो वह राज्य किसी तीसरे राज्य के किसी निवासी के संबंध में लगाता ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

सोफिया में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानवे के मई माह के 26वें दिन को हिन्दी, बलगारियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया, जिसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं । हिन्दी और बलगारियाई पाठों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

ह०/ सलमान खुर्शीद

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह०/ अपठनीय

बलगारिया गणराज्य
की सरकार की ओर से

[अधिसूचना सं. 10082 फा. सं. 503/2/87-एफ. टी. डी.]

एन. पी. साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 1996

INCOME-TAX

G.S.R. 205 (E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Bulgaria for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has come into force on the 23rd June, 1995, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Convention in accordance with Article 30 of the said Convention:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE**CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA**

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

AND THE

PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES

ON INCOME AND ON CAPITAL.

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Bulgaria

DESIRING to further expand and facilitate mutual economic relations,

HAVE RESOLVED to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

and HAVE AGREED AS FOLLOWS :

Article 1**PERSONAL SCOPE**

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2**TAXES COVERED**

1. The taxes to which this Convention shall apply are :

(a) In India :

(i) the income tax, including any surcharge thereon; and

(ii) the wealth tax;

(hereinafter referred to as "Indian tax");

(b) In Bulgaria :

(i) the tax on total income;

(ii) the tax on profits; and

(iii) the tax on buildings;

(hereinafter referred to as "Bulgarian tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the taxes of that Contracting State referred to in paragraph 1 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective laws.

Article 3**GENERAL DEFINITIONS**

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian laws and in accordance with International law;
- (b) the term "Bulgaria" means the Republic of Bulgaria, and when used in a geographical sense means the territory over which it exercises its State sovereignty, as well as the continental shelf and exclusive economic zone over which it exercises sovereign rights and jurisdiction according to International law;
- (c) the terms "Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Bulgaria, as the context requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Bulgarian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (e) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws in force in the respective Contracting State;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorized representative; and in the case of Bulgaria—The Minister of Finance or his authorized representative;
- (i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State, concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4**RESIDENT**

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means :

- (a) in the case of India, any person who, under the laws of India, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.
 - (b) in the case of Bulgaria, any individual who is national of Bulgaria, as well as any legal person which has its head office in Bulgaria or is registered therein.
2. (a) Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interest cannot be determined, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5**PERMANENT ESTABLISHMENT**

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on, separately or together with other persons.

2. The term “permanent establishment” includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources;
- (i) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, projects or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than six months.

Provided that for the purpose of this paragraph an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with or supplies plant and machinery on hire, used or to be used in the prospecting for, or extraction or production of mineral oils in the State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise;
- (f) the selling of goods or merchandise belonging to the enterprises displayed in an occasional temporary fair or exhibition in the process of closing down of such fair or exhibition;
- (g) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (f), provided that overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

However, the provisions of sub-paragraphs (a) to (g) shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said sub-paragraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if :

- (a) he has, and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise;
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises in which the first-mentioned enterprise has a majority participation, or for the enterprise and other enterprises which have a majority participation in the first-mentioned enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, a general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company, which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in the other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income, derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State, as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of the subject to the limitation of the taxation laws of that State.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply where the enterprise has an office or agency in the other State for the transportation of goods or persons. However, this shall apply only to activities directly connected with the business of the operation of aircraft in international traffic.

4. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

5. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING

1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding anything contained in paragraph 1 of this Article and paragraph 2 of Article 10 of the Agreement on merchant shipping dated 18-11-1976 between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bulgaria, income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic from the ports of the other Contracting State to the ports of third countries and from the ports of third countries to the ports of the other Contracting State may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other Contracting State shall not exceed:

- (a) 50 per cent of the tax otherwise imposed by the taxation law of that other Contracting State, or;
 - (b) 2.50 per cent of the gross amount payable in respect of such operation of ships.
- whichever is lower.

3. For the purposes of clause (b) of paragraph 2 of this Article, the gross amount payable in respect of the operation of ships shall mean the aggregate of the following amounts, namely :

- (a) the gross amount paid or payable on account of the carriage of passengers, livestock, mail or goods shipped at a port or ports in the other Contracting State;
- (b) the gross amount received in the other Contracting State on account of carriage of passengers, livestock, mail or goods shipped at a port of the third country;
- (c) interest arising in the other Contracting State on funds connected with the operation of ships in international traffic;
- (d) the gross amount payable on account of the use, maintenance or rent of containers (including trailers and related equipments for the transport of containers) in connection with the transport of goods of merchandise in international traffic.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of ships.

5. For the purposes of this Article :

- (a) interest of funds connected with the operation of ships in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest; and
- (b) income from the operation of ships includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipments for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial rela-

tions which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident or a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7, or Article 15 as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

- (i) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is beneficially owned by a resident of the other Contracting State and it is derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :

- (i) in the case of Bulgaria, the Foreign Trade Bank to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;
- (ii) in the case of India, the Export-Import Bank of India (Exim Bank), to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;
- (iii) any institution of a Contracting State in charge of public financing of external trade;
- (iv) any other person provided that the loan or credit is approved by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payments shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority thereof or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationships, the provisions of this Article shall apply to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the royalties relating to copyrights of literary, artistic or scientific works, other than cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting; and
- (b) 20 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15 as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority thereof, or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

Article 14**CAPITAL GAINS**

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is resident.
4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
5. Gains from the alienation of shares, other than those mentioned in paragraph 4 of a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.
6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15**INDEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Income derived by an individual, who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :
 - (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
 - (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16**DEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 17**DIRECTORS' FEES**

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18**INCOME EARNED BY ENTERTAINERS AND ATHLETES**

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State, in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State, from his personal activities as such, exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are performed within the framework of cultural exchange between the two Contracting States, or are supported wholly or substantially, from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

Article 19**REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE**

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect to services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State;

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State, who :

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds, created by a Contracting State or a political sub-division or a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State;

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 20 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or local authority thereof.

Article 20**NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES**

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on :—

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding Lv. 1500 or its equivalent in Indian currency during any "previous year" or "year of income", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purposes of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 22

PAYMENTS, RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This paragraph shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purpose of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of income", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or "year of income".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved or established by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 23

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 24

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships or aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise owning such property is a resident.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State may be taxed in the Contracting State in which such elements of capital are situated.

Article 25

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income or capital in the respective Contracting State except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. In both the Contracting States, double taxation shall be avoided in the following manner :

(a) where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, exempt such income or capital from tax but may, in calculating tax on the remaining income or capital of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income or capital had not been so exempted;

(b) Either of the Contracting States when imposing taxes on its residents may include in the tax base upon which such taxes are imposed the items of income which according to the provisions of Articles 9, 11, 12 and 13 of this Convention may also be taxed in the other State but shall allow as a deduction from the amount of tax computed on such a base an amount equal to the tax paid in the other Contracting State. Such deduction shall not, however, exceed that part of tax, leviable by the first-mentioned State, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which, in accordance with the provisions of Articles 9, 11, 12 and 13 of this Convention may be taxed in the other State.

3. For the purposes of sub-paragraph (b) of paragraph 2 the term "tax paid in the other Contracting State" shall be deemed to include any amount which would have been payable as tax but for any relief by way of deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or a reduction of tax or otherwise under the laws relating to taxation of income in force in that other Contracting State.

Article 26

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The term "nationals" means :

(a) All individuals possessing the nationality of a Contracting State;

(b) All legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being not in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Convention.

4. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to non-residents of that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

6. In this Article the term "taxation" means taxes which are subject of this Convention.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of these States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation, not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular case or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

Article 29**DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS**

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30**ENTRY INTO FORCE**

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the letter of these notifications and shall thereupon have effect :

(a) In India :

- (i) in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force; and
- (ii) in respect of capital which is held on the last day of any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enter into force; and

(b) In Bulgaria :

- (i) in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Convention enters into force; and
- (ii) in respect of capital which is held on the last day of any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Convention enters into force.

Article 31**TERMINATION**

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting State may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination. In such event, the Convention shall cease to have effect :

(a) In India :

- (i) in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given; and
- (ii) in respect of capital which is held on the last day of any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

(b) In Bulgaria :

- (i) in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given; and
- (ii) in respect of capital which is held on the last day of any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Sofia on this 26th day of May of One thousand nine hundred and ninety.....in Hindi, Bulgarian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the two texts, the English text shall prevail.

Sd/- Illegible

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA

Sd/- Illegible

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BULGARIA

PROTOCOL

At the signing today of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Bulgaria for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention :

1. To Article 7 (Business Profits) :

- (a) In respect of paragraph 1, the profits attributable to a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall include profits directly or indirectly attributable to the permanent establishment and in particular shall include profits of the enterprise from the sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through the permanent establishment.
- (b) In respect of paragraph 3, it is agreed that while determining the profits of a permanent establishment, no deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any other of its offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for the management or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

2. To Article 12 (Interest) :

In respect of paragraph 3(a)(ii), it is understood that the Central Bank in the case of India means the Reserve Bank of India.

3. To Article 26 (Non Discrimination) :

In respect of paragraph 3, it is understood that a Contracting State may not exercise in respect of a resident of the other Contracting State a higher or more burdensome taxation than the taxation which that State would exercise in respect of a resident of a third State.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Protocol.

DONE in duplicate at Sofia on this 26th day of May of one thousand nine hundred and ninety four in the Hindi, Bulgarian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the two texts, the English text shall prevail.

Sd/- Illegible

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA

Sd/- Illegible

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BULGARIA

[Notification No. 10082/F. No. 503/2/87-F.T.D.]
N. P. SAHNI, Jt. Secy.